पंचायत समिति निरमण्ड, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति निरमण्ड, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान पंचायत समिति निरमण्ड में निम्नलिखित अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति मरीकना देवी	01-04-2022 से 31-03-2024

2. अध्यक्ष

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री दलीप ठाकुर	01-04-2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

पंचायत समिति निरमण्ड, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार

निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती हैं।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	ई-ग्राम स्वराज व हस्तगत संधारित रोकड़ बही के अंत शेषों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना ।	6	(+) ₹ 8.15 (-) ₹ 30.17
02.	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	8	₹ 105.61
03.	पंचायत राजस्व, गेस्ट हाउस व कैंटीन की किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9	₹ 2.08
04.	यात्रा भत्ते हेतु भुगतान में पाई गई अनियमितताओं बारे	10	₹0.56
05.	ग्राम पंचायतों के उप चुनाव में व्यय राशि की प्रतिपूर्ति शेष	11	₹0.28
06.	प्रस्तुत अभिलेखानुसार उपस्थित सदस्यों से अधिक व्यक्तियों के खान-पान के बिल भुगतान के फलस्वरूप अधिक/अनियमित भुगतान करना	12	₹0.12
07.	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	13	₹0.07

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

पंचायत समिति निरमण्ड, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17-03-2025 से 22-03-2025 तक पंचायत समिति निरमण्ड के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	01/2023	04/2022
2.	2023-2024	06/2023	10/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

पंचायत समिति निरमण्ड, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 22.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युतर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया कि यह शुल्क शीघ्र ही जमा करवा दिया जाएगा।

4. वित्तीय स्थिति

पंचायत समिति निरमण्ड, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(i) स्व:-स्त्रोत पंचायत समिति निरमण्ड, के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में दिया गया है :-

Financial Position of Own sources of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2022-23	Own Sources	10973.00	249688.00	4657.00	265318.00	87483.00	1,77,835.00
2023-24	Own Sources	177835.00	52918.00	5170.00	235923.00	74007.00	1,61,916.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							161916.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							161916.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**0.00**

Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024					
Sr No	Branch Name	Account No			
1	KCCB Nirmand	50067403965		Annexure-7	161916.00
Total					1,61,916.00

(ii) 5th State (PS): पंचायत समिति निरमण्ड, के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक **5th State (PS)** की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-2** में दिया गया है:

Financial Position of 5th State (PS) of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2022-23	5th State (PS)	1534655.00	11000.00	0.00	1545655.00	386451.00	11,59,204.00
2023-24	5th State (PS)	1159204.00	227286.00	73867.00	1460357	243402.00	12,16,955.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							1216955.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							1689804.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**-472849.00**
Bank Reconciliation:-							
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024							**1216955.00**
Add: Income received on dated 21.02.24 but not entered in cash book upto 31.03.2024							**1000.00**
Add: Income received on dated 30.03.24 but not entered in cash book upto 31.03.2024							**2000.00**
Add: Grant received from SJVN foundation on dated 30.03.24 but not entered in cash book upto 31.03.2024							**450000.00**
Add: Payment entered twice in cash book on dated 13.05.2022 and 24.01.2024 but debited by bank once on dated 24.01.2024							**19849.00**
Total as per cash book after reconciliation							**1689804.00**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024							**1689804.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							0.00
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	KCCB Nirmand	50072304355			**Annexure-7**		1689804.00
Total							**16,89,804.00**

(iii) 5th State (ZP): पंचायत समिति निरमण्ड, के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक **5th State (ZP)** की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-3** में दिया गया है:

Financial Position of 5th State(ZP) of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2022-23	5th State(ZP)	6577893.00	5634601.00	0.00	12212494.00	8608129.00	3604365.00
2023-24	5th State(ZP)	3604365.00	3097160.00	126837.00	6828362.00	4008618.00	2819744.00
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024							2819744.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							2915421.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**-95677.00**
Bank Reconciliation:-							
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024							2819744.00
Add: Interest received on dated 31.05.2022 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)							9865.00
Add: Interest received on dated 31.08.2022 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)							9630.00
Add: Interest received on dated 30.11.2022 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)							9593.00
Add: Interest received on dated 28.02.2023 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)							9554.00
Add: Interest received on dated 31.05.2023 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)							10528.00
Add: Interest received on dated 31.08.2023 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)							10615.00
Add: Interest received on dated 30.11.2023 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)							10579.00
Add: Interest received on dated 29.02.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)							10659.00
Total as per cash book after reconciliation							**2900767.00**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024							**2915421.00**
Difference							**-14654.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							

Sr No	**Branch Name**	**Account No**			
1	KCCB Nirmand	20038027588		**Annexure-7**	965326.00
2	KCCB Nirmand	50058203183		**Annexure-7**	1435709.00

3	KCCB Nirmand	50058203161		Annexure-7	514386.00
			Total		**29,15,421.00**

(iv) RGSA : पंचायत समिति निरमण्ड, के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक **RGSA** की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-4** में दिया गया है:

Financial Position of RGSA of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2022-23	RGSA	20595.00	39021.00	1307.00	60923.00	11421.00	49,502.00
2023-24	RGSA	49502.00	15600.00	1458.00	66560.00	15600.00	50,960.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							50960.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							50960.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**0.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	PNB Nirmand	2716000100206335		Annexure-7			50960.00
			Total				**50,960.00**

(v) 15th FC : पंचायत समिति निरमण्ड, के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक **15th FC** की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-5** में दिया गया है:

Financial Position of 15 th FC of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2022-23	15 th FC	9335036.00	6549760.00	209218.00	16094014.00	5299299.00	10794715.00
2023-24	15 th FC	10794715.00	764527.00	70425.00	11629667.00	5156750.00	6472917.00
Total as per General Cash Book as on 31.03.2024							6472917.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							5682991.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**789926.00**
बैंक समाधान विवरणी :-							
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष							6472917.00
जमा : दिनांक 31.05.2021 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							40988.00
जमा : दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							58630.00
जमा : दिनांक28.02.2022 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							65268.00
जमा : दिनांक 31.08.2023 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							70151.00
जमा : दिनांक 30.11.2023 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							57468.00
जमा : दिनांक 29.02.2024 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							45789.00
घटाव : दिनांक 20.05.2021 को रोकड़ बही में दर्ज प्राप्त अनुदान की प्रविष्टि को दिनांक 30.09.2021 को त्रुटिवश पुन: प्रविष्टि करना							-897643.00
कुल योग							**5913568.00**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष (Account No- KCCB Nirmand -20038027475)							5682991.00
अंतर की राशि							**230577.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	KCCB Nirmand	20038027475			**Annexure-7**		5682991.00
Total							**56,82,991.00**

4. पंचायत समिति द्वारा 5 th State Fc तथा RGSA निधि की ई –ग्राम स्वराज की रोकड़ बही में कोई भी प्रविष्टि न करने बारे ।

पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध सूचना/ अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पंचायत समिति निरमंड जिला कुल्लू द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ई ग्राम स्वराज में संधारित 5 th State Fc (PS), 5 th State Fc (ZP), तथा RGSA की रोकड़ बही में आय तथा व्यय की एक भी प्रविष्टि दर्ज

नहीं की गई थी । निदेशक एवं विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)सी(15)351/2017-नि0-15409-437 दिनांक 05.03.2019 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.04.2019 से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत इकाईयां/संस्थायें हस्तलिखित रोकड़ बही संधारित नहीं करेगी तथा समस्त लेखों का संधारण Priasoft सॉफ्टवेयर, जिसे अब ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के नाम से जाना जाता है, पर किया जाएगा एवं उक्त पत्र के दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निदेशालय, जिला खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा तथा उल्लंघन की स्थिति में दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि पंचायत के सभी स्तरों पर हस्तगत संधारित रोकड़ बही को बंद कर के सभी प्रकार के आय तथा व्यय को ई ग्राम स्वराज पोर्टल में दर्ज करना अपेक्षित था परन्तु पंचायत समिति निरमंड द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल में एक भी प्रविष्टि को दर्ज न करना उक्त निर्देशों की सरासर अवेहलना को दर्शाता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 12 दिनाँक 21.03.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति निरमंड के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे शीघ्र ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अतः उक्त पत्र के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत समिति द्वारा ई ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बहियों में आय व व्यय की प्रविष्टियाँ दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

5. 5th State finance commission (ZP) की रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹ 0.14 लाख के अन्तर का समाधान न करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान व भत्ते) नियम 15 (10) के प्रावधानानुसार पंचायत समिति की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है । पंचायत समिति निरमंड के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा दिनांक 31.03.2024 को 5th State finance commission (ZP) की रोकड़ बही का मिलान बैंक खातों

से करने के उपरांत रोकड़ बही तथा बैंक खातों में कुल **₹ 14654.00** का अंतर पाया गया जिसका पंचायत समिति द्वारा समाधान नहीं किया गया था । पंचायत द्वारा रोकड़ बही तथा बैंक खातों के शेषों का परस्पर मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । जिसका विस्तृत विवरण पैरा संख्या 4 (iii) में दर्ज है ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 01 दिनाँक 19.03.2025 द्वारा उक्त प्रकरण कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति निरमंड के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खातो व रोकड़ बही का मिलान नियमानुसार शीघ्र किया जाएगा ।

अतः उक्त अन्तर बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत समिति की रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के शेषों का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. ई-ग्राम स्वराज व हस्तगत संधारित रोकड़ बही के अंत शेषों में ₹ 8.15 लाख के धनात्मक एवं ₹30.17 लाख के ऋणात्मक अंतर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजक्ट (एम.एम.पी.) प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत समिति की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान की खरीद /भुगतान इत्यादि का इन्द्राज करना था ।

पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध सूचना / अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत समिति निरमंड द्वारा ई-ग्राम स्वराज रोकड़ बही तथा हस्तगत संधारित रोकड़ बही में आय-व्यय की प्रविष्टियाँ तो दर्ज की जा रही थी परंतु पंचायत समिति द्वारा ई-ग्राम स्वराज में संधारित आंकड़ो को बैंक खातों के साथ मिलान नहीं किया गया था तथा न ही हस्तगत संधारित की गई रोकड़ बहियों के साथ आरंभिक व अंतशेषों की तुलना की गई थी जिससे की दोनों तरह की रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ों की पूर्ण पुष्टि की जा सके । समिति द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से उपलब्ध रोकड़ बही के आंकड़ों का मिलान हस्तगत संधारित रोकड़ बहियों से करने पर पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को

उपलब्ध करवाई गई हस्तगत रोकड़ बही के अंतशेष व ई-ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बही के अंतशेष में ₹ 815289 00.का धनात्मक व (-) ₹ 3017625.00 का ऋणात्मक अंतर पाया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है : -

Sr. No	Name Of Fund	Closing Balance as on 31.03.2024 as per Manual Cash book	Closing Balance as on 31.03.2024 as per E-Gram Swaraj Portal	Difference
1	Own Source	161916.00	3179541.00	-3017625.00
2	5th State	4036699.00	3272370.00	764329.00
3	RGSA	50960.00	0.00	50960.00

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी को तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रविष्टियों का सत्यापन करने उपरांत अपेक्षित सुधार करके ऑनलाइन रोकड़ बही का मिलान बैंक खातों से कर दिया जाएगा ।

अतः उक्त अन्तर के कारणों बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार समर्थित अभिलेख सहित ई-ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बही के आंकड़ो में अपेक्षित सुधार करने के उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । जिससे कि ई-ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बही के आंकड़े सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित करें ।

7. पंचायत समिति द्वारा 5th state FC (ZP) की रोकड़ बही में ₹ 12.59 लाख की आय तथा व्यय की प्रविष्टि दर्ज न करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 15 के अन्तर्गत पंचायत सचिव द्वारा रोकड़ बही के रख-रखाव हेतु समिति को प्राप्त होने वाली आय तथा व्यय की प्रविष्टि करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान करने पर पाया गया कि, पंचायत समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार दिये गए आय तथा व्यय को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे यह पता लगाना कठिन है कि निम्न राशियाँ किस उद्देश्य से प्राप्त हुई थी तथा किस उद्देश्य हेतु व्यय की गई थी जोकि उपरोक्त नियम की सरासर अवेहलना को दर्शाता है तथा साथ ही पंचायत समिति के अधिकारी/कर्मचारी वर्ग की लापरवाही को भी दर्शाता है। अत : पंचायत समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार रोकड़ बही को संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

Income and expenditure deatil which is not recorded in cash book		
Sr. No	**Income**	**Expenditure**
1	350931.00	48705.00
2	48705.00	350931.00
3	91766.00	91766.00
4	91766.00	91766.00
5	334722.00	334722.00
6	341190.00	341190.00
Total	**1259080.00**	**1259080.00**

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 08 दिनांक 21.03.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, 5th state ZP की रोकड़ बही में प्रविष्टि कर दी जाएगी। अत: पंचायत समिति द्वारा उक्त प्राप्त एवं व्यय की गई अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करने के तथ्यपूर्ण कारणों को स्पष्ट किया जाये तथा परामर्श दिया जाता है कि इन राशियों कि प्रविष्टि रोकड़ बही में करने के उपरांत इसके व्यय से संबन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8. विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹ 105.61 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम, 2002 के नियम 22 के अनुसार पंचायत समिति की निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया

जाएगा, जिसके लिए निधियां आबंटित की गई हैं तथा उनमें से व्यय, निधियां प्रदान करने वाली वित्त पोषण एजेन्सी की अपेक्षाओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

पंचायत समिति द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान रूप में प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ **10560576.00** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत समिति के माध्यम से करवाये जा रहे विकासात्मक कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने/करवाने में यह समिति पीछे है। फलस्वरूप सरकारी योजनाओं से लक्षित लाभार्थियों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत समिति के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

Sr. No	**Name Of Fund**	**Unutilized Amount as on 31.03.2024**
1	5th State FC PS	1216955.00
2	5th State FC ZP	2819744.00
3	RGSA	50960.00
4	15th FC	6472917.00
Total		**10560576.00**

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 04 दिनांक 20.03.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, विकास कार्य प्रगति पर हैं। भविष्य में विकासात्मक कार्य हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को खर्च कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

अत: शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को वित्त पोषण एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. पंचायत राजस्व, गेस्ट हाउस व कैंटीन की किराया राशि ₹ 2.08 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 34 (2)** के प्रावधानानुसार पंचायत समिति को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत समिति निरमंड के द्वारा आय से सम्बन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना/अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में समिति गेस्ट हाउस व कैंटीन को किराए पर प्रतिवर्ष दिया जा रहा था परंतु अंकेक्षण अवधि के दौरान ठेकेदारों से कोई भी राशि की वसूली नहीं की गई थी परिणामस्वरूप इन ठेकेदारों से दिनांक 31.03.2024 तक **परिशिष्ट-6** के अनुसार ₹ 208000.00 की आय वसूली हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत समिति अपने राजस्व की सही, पूर्ण एवं नियमित वसूली/प्राप्ति के प्रति गम्भीर नहीं है, जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 06 दिनांक 20.03.2025 द्वारा आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया कि, जिस व्यक्ति को कैंटीन की नीलामी 2022-23 व 2023-24 में की गई थी उनको कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।

अत: उक्त पंचायत समिति राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये नियमानुसार बकाया राशि की वसूली हेतु तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10. पंचायत समिति के चेयरपर्सन द्वारा यात्रा भत्ते हेतु ₹0.56 लाख के भुगतान में पाई गई अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 59(1),64 और 65(1)** में दिये गए प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ते दावे को नियमित नहीं किया गया था । पंचायत समिति निरमंड के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति अध्यक्ष द्वारा विभिन्न बैठकों में भाग लेने हेतु Sahil Kumar Tour & Travel को ₹ 22 प्रति किलोमीटर की दर से ₹ 56412 की राशि का भुगतान विभिन्न तिथियों में किया गया था । अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि, अध्यक्ष द्वारा यात्रा भत्ते का बिल हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 59(1) के फॉर्म-19 में प्रस्तुत न करके सीधे तौर पर टैक्सी चालक को भुगतान किया गया था जोकि यात्रा भत्ता नियमों के विरुद्ध किया गया भुगतान प्रतीत होता है तथा अध्यक्ष द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया था उनमें शामिल होने के स्वीकृति पत्र संबन्धित बिल के साथ संलग्न नहीं किए गए थे जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि जिस तिथि में अध्यक्ष द्वारा यात्रा की गई थी उस तिथि को वास्तव में बैठक आयोजित की गई थी अथवा नहीं ? परिणाम स्वरूप उचित

अभिलेखों के अभाव में निम्न यात्राओं हेतु किए गए भुगतान को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है । इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 11 दिनांक 22.03.2025 के द्वारा आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया कि, यात्रा भत्ते से संबन्धित प्रतियाँ शीघ्र ही अंकेक्षण को प्रस्तुत की जाएगी । अत : निम्न बैठकों में भाग लेने हेतु प्राप्त स्वीकृति पत्रों को शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किए जाये एवं निम्न विवरणानुसार यात्रा भत्ते हेतु किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा असमर्थित/अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली के उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Bill/Date	Name of Firm	Travelling Station	Purpose of journey	Kilometres Covered	Rate	Amount Paid
110/30.07.21	Sahil Kumar Tour &Travel	Nither to Kullu	To attend ZP meeting and virtual meeting on covid with DDMA	470	22	10340
109/30.06.21	Sahil Kumar Tour &Travel	Nither to Kullu	To attend the meeting with sub divisional Grievance meeting and official work and Panchayat samiti meeting	336	22	7392
108/20.09.21	Sahil Kumar Tour &Travel	Nirmand to Kullu	To attend ZP meeting and Panchayat samiti meeting	470	22	10300
107/26.03.21	Sahil Kumar Tour &Travel	Nirmand to Kullu	To attend ZP meeting and preside over the PRI foundation training	470	22	10340
106/24.12.21	Sahil Kumar Tour &Travel	Nither to Kullu	To attend ZP meeting and DISHAmeeting	820	22	18040
Total						**56412**

11. ग्राम पंचायतों के उप चुनाव में व्यय की गई ₹0.28 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति न करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 34 (2)** में प्रावधानानुसार है कि, पंचायत समिति को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत समिति निरमंड द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों में उप चुनाव करवाने हेतु समिति निधि से ₹ 45731.00 का व्यय किया गया था, जिसमें से सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 29.04.2023 को ₹18000.00 की राशि प्राप्त कर ली गई थी परंतु शेष बची ₹ 27731.00 की राशि अभी तक प्राप्त नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 09 दिनांक 22.03.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया कि, इस बारे शीघ्र ही उच्च अधिकारी को पत्राचार कर मांग की जाएगी। अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत संबन्धित विभाग से उचित पत्राचार के माध्यम से इस राशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाये व कृत कार्रवाई की अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Year	Expenditure during bye election	Recouped from election commission	Balance for recovery
2023	45731	18000	27731

12. कार्यवाही रजिस्टर में उपस्थित सदस्यों से अधिक सदस्यों के खान-पान का बिल प्रस्तुत करने के कारण राशि ₹0.12 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 44 के अनुसार पंचायत समिति अध्यक्ष एवं सचिव निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करेंगे।

पंचायत समिति निरमंड के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा आयोजित बैठकों में उपस्थित सदस्यों को खान-पान करवाया गया था जिससे संबन्धित विभिन्न बिलों की पड़ताल में पाया गया कि बैठक में जितने सदस्यों द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज की गई थी उससे अधिक सदस्यों हेतु फ़र्म द्वारा बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था जबकि कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार सभा में उपस्थित सदस्यों के अनुसार ही खान पान के बिल का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार पंचायत समिति द्वारा विभिन्न फ़र्मों को निम्न विवरणानुसार राशि ₹12380.00 का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 05 दिनांक 21.03.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित

किया कि, कार्यवाही रजिस्टर में उपस्थित सदस्यों से अधिक सदस्यों के खान-पान के बिल बारे रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी । अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत निम्न भुगतान की गई राशि को या तो नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्रोत से वसूली करने के उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Vr. No./Date	Bill No / date	Name of Firm	Material / Date of Meeting	No of Person as per bill	No of Person Present in meeting as per proceeding register	Difference	Rate	Excess Amount paid
3/03.08.22	117/06.05.22	Samiti guest house, contractor Mela ram	Lunch &Tea/06.05.22	50	38	12	128	1536
9/21.11.22	301/23.08.22	Padam Singh Tehsil canteen	Lunch &Tea/23.08.22	15	12	3	80	240
10/09.03.23	001/20.12.22	Padam Singh Tehsil canteen	Lunch &Tea/20.12.22	40	25	15	100	1500
10/09.03.23	002/16.01.23	Padam Singh Tehsil canteen	Lunch &Tea/16.01.23	15	12	3	100	300
51/04.08.23	017/19.05.23	Samiti guest house, contractor Padam Singh	Lunch &Tea/19.05.23	55	35	20	110	2200
51/04.08.23	016/25.02.23	Samiti guest house, contractor Padam Singh	Lunch &Tea/25.02.23	57	38	19	110	2090
51/04.08.23	018/23.06.23	Samiti guest house, contractor Padam Singh	Lunch &Tea/23.06.23	20	17	3	110	330
03/07.04.22	093/30.06.21	Samiti guest house, contractor Mela ram	Lunch &Tea/30.06.21	22	11	11	108	1188

03/07.04.22	094/08.08.21	Samiti guest house, contractor Mela ram	Lunch &Tea/08.08.21	15	9	6	108	648
03/07.04.22	095/14.09.21	Samiti guest house, contractor Mela ram	Lunch &Tea/14.09.21	46	39	7	116	812
03/07.04.22	098/16.12.21	Samiti guest house, contractor Mela ram	Lunch &Tea/16.12.21	46	40	6	116	696
03/07.04.22	105/17.01.22	Samiti guest house, contractor Mela ram	Lunch &Tea/17.01.22	20	13	7	120	840
Total								**12380**

13. अग्रिम ₹ 0.07 लाख की राशि का समायोजन न करने बारे ।

सचिव, पंचायत हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या पीसीएच-एच ए (5) सी (15) 313/89-50234-322 दिनांक 26.03.2010 के अन्तर्गत पंचायत की अग्रिम, नकद व अवैध राशियों की वसूली सम्बन्धी जारी दिशा-निर्देशों/निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

पंचायत समिति निरमंड द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों में उप चुनाव करवाने हेतु समिति निधि से श्री राजेश कुमार, पंचायत निरीक्षक को चुनावों की तैयारी में होने वाले खर्च के लिए ₹ 7000.00 की राशि अग्रिम के रूप में जारी की गई थी । परंतु पंचायत समिति द्वारा इसके समायोजन से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए है तथा न ही अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव किया गया था जिससे कि उक्त अग्रिम राशि के समायोजन की पुष्टि की जा सके ।

Cash book Page No	Date of advance	Purpose of Advance	Name of employee/Designation	Amount
7	10.08.2022	Bye election of Gram Panchayats	Sh. Rajesh Kumar/ Panchayat Inspector	7000

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 10 दिनांक 22.03.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया कि, ग्राम पंचायतों के उपचुनाव हेतु दी गई अग्रिम राशि के adjustment voucher से संबन्धित कर्मचारी को इस बारे शीघ्र पत्र लिखा जाएगा ।

अतः श्री राजेश कुमार, पंचायत अधीक्षक को अग्रिम जारी की गई राशि की शीघ्र ही उचित समर्थित अभिलेखों सहित समायोजित की जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत समिति द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लिकेशन हैं, जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति निरमंड विकास खण्ड निरमंड ,जिला कुल्लू (हि० प्र०) के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान आगे पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल 2 प्रविष्टियाँ ही दर्ज की गई थी जिसमें हीटर ,कूलर ही शामिल था तथा उनकी भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख, विशिष्ट मद पहचान कोड तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे प्रिंटर,लेपटॉप, फ़र्निचर,टेवल ,कुर्सी ,क्रॉकरी,अलमारियाँ इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था। पंचायत समिति ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत समिति द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गई इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। इस प्रकार पंचायत समिति द्वारा उपरोक्त पोर्टल में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि पंचायत समिति सचिव की लापरवाही भी है, जोकि गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 02 दिनाँक 19.03.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत समितिं द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में शीघ्र ही दर्ज किया जाएगा ।

अत: पंचायत समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाये तथा शीघ्र ही दर्ज करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

15. महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है :-

1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	12	38	संधारित नहीं
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान बिल रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं

8.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
9.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
10.	यात्रा भत्ता जांच रजिस्टर	60	20	संधारित नहीं
2 हि०प्र० पंचायती राज सामान्य नियम, 1997				
1	अनुदान रजिस्टर	8	34	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20.03.2025 के प्रत्युत्तर में समिति कार्यकारी अधिकारी द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।

अत: भविष्य में अंकेक्षण नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

16. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति निरमण्ड, की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अतः नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाते हुये अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

17. 15वें वित्तायोग से समबन्धित पैरों का प्रारूपण ऑनलाइन अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले ही कर लिया गया है।

18. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

19. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनिमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत समिति के अभिलेखों की गहन जांच उपरान्त तदानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

04 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3168-3171 का०/छा

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15) (3) 84/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित अधिकारी को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हि०प्र०।

पंजीकृत

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/छा

परिशिष्ट संख्या - I
पैरा संख्या - 4(ii)

Financial Position of Own sources of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024							
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interst Received during the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	Own Sources	10973.00	249688.00	4657.00	265318.00	87483.00	**1,77,835.00**
2023-24	Own Sources	177835.00	52918.00	5170.00	235923.00	74007.00	161916.00
	Total	**177835.00**	**52918.00**	**5170.00**	**235923.00**	**74007.00**	**161916.00**
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							161916.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							161916.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**0.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	KCCB Nirmand	50067403965					161916.00
Total							**1,61,916.00**

* Opening Balance taken as per Bank Passbook

Block Development Officer
Development Block Nirmand

22

22/3/2025

परिशिष्ट संख्या- 2
पृष्ठ संख्या - 4(ii)

Financial Position of 5th State (PS) of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2022-23	5th State (PS)	1534655.00	11000.00	0.00	1545655.00	386451.00	11,59,204.00
2023-24	5th State (PS)	1159204.00	227286.00	73867.00	1460357	243402.00	12,16,955.00
	Total	**1159204.00**	**227286.00**	**73867.00**	**1460357.00**	**243402.00**	**1216955.00**
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							1216955.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							1689804.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**-472849.00**
Bank Reconciliation:-							
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024							**1216955.00**
Add: Income received on dated 21.02.24 but not entered in cash book upto 31.03.2024							**1000.00**
Add: Income received on dated 30.03.24 but not entered in cash book upto 31.03.2024							**2000.00**
Add: Grant received from SJVN foundation on dated 30.03.24 but not entered in cash book upto 31.03.2024							**450000.00**
Add: Payment entered twice in cash book on dated 13.05.2022 and 24.01.2024 but debited by bank once on dated 24.01.2024							**19849.00**
Total as per cash book after reconciliation							**1689804.00**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024							**1689804.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							0.00
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	KCCB Nirmand	50072304355					1689804.00
Total							**16,89,804.00**

* Note :- Opening Balance as on 01.04.2022 taken as per Bank Passbook.

Block Development Officer
Development Block Nirmand

Financial Position of 5th State(ZP) of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024

Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interst Received during the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	5th State(ZP)	6577893.00	5634601.00	0.00	12212494.00	8608129.00	3604365.00
2023-24	5th State(ZP)	3604365.00	3097160.00	126837.00	6828362.00	4008618.00	2819744.00
	Total	**3604365.00**	**3097160.00**	**126837.00**	**6828362.00**	**4008618.00**	**2819744.00**

Total as per Cash Book as on 31.03. 2024	2819744.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)	2915421.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024	**-95677.00**
Bank Reconciliation:-	
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024	2819744.00
Add: Interest received on dated 31.05.2022 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)	9865.00
Add: Interest received on dated 31.08.2022 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)	9630.00
Add: Interest received on dated 30.11.2022 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)	9593.00
Add: Interest received on dated 28.02.2023 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)	9554.00
Add: Interest received on dated 31.05.2023 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)	10528.00
Add: Interest received on dated 31.08.2023 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)	10615.00
Add: Interest received on dated 30.11.2023 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)	10579.00
Add: Interest received on dated 29.02.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No -3183)	10659.00
Total as per cash book after reconciliation	**2900767.00**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024	**2915421.00**
Difference	**-14654.00**

Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024

Sr No	Branch Name	Account No			
1	KCCB Nirmand	20038027588			965326.00
2	KCCB Nirmand	50058203183			1435709.00
3	KCCB Nirmand	50058203161			514386.00
		Total			**29,15,421.00**

Block Development Officer
Development Bl... Nirmand

Financial Position of RGSA of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024

Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interst Received during the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	RGSA	20595.00	39021.00	1307.00	60923.00	11421.00	49,502.00
2023-24	RGSA	49502.00	15600.00	1458.00	66560.00	15600.00	50,960.00
	Total	**49502.00**	**15600.00**	**1458.00**	**66560.00**	**15600.00**	**50960.00**
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							50960.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							50960.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**0.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	PNB Nirmand	2716000100206335					50960.00
			Total				**50,960.00**

Block Development Officer
Development Block Nirmand

परिशिष्ट संख्या - 5
पत्र संख्या - 4(iv)

Financial Position of 15 th FC of Panchayat Samiti Nirmand as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2022-23	15 th FC	9335036.00	6549760.00	209218.00	16094014.00	5299299.00	1,07,94,715.00
2023-24	15 th FC	10794715.00	764527.00	70425.00	11629667.00	5156750.00	6472917.00
	Total	**10794715.00**	**764527.00**	**70425.00**	**11629667.00**	**5156750.00**	**6472917.00**
Total as per General Cash Book as on 31.03.2024							6472917.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							5682991.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**789926.00**
बैंक समाधान विवरणी :-							
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष							6472917.00
जमा : दिनांक 31.05.2021 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							40988.00
जमा : दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							58630.00
जमा : दिनांक28.02.2022 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							65268.00
जमा : दिनांक 31.08.2023 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							70151.00
जमा : दिनांक 30.11.2023 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							57468.00
जमा : दिनांक 29.02.2024 को प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना							45789.00
घटाव : दिनांक 20.05.2021 को रोकड़ बही में दर्ज प्राप्त अनुदान की प्रविष्टि को दिनांक 30.09.2021 को त्रुटिवश पुन: प्रविष्टि करना							-897643.00
कुल योग							**5913568.00**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष (Account No- KCCB Nirmand -20038027475)							5682991.00
अंतर की राशि							**230577.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	KCCB Nirmand	20038027475					5682991.00
Total							**56,82,991.00**

Block Development Officer
Development Block Nirmand

परिशिष्ट संख्या - 6
पृष्ठसंख्या - 9

Information regarding Rent of Panchayat Samiti Guest House

Year	O.B.	Demand for the Year	Total	Received	Closing Balance
2022-23	77667	53333	131000	0	131000
2023-24	131000	77000	208000	0	208000

Block Development Officer
Development Block [illegible]

27

PANCHAYAT SAMITI NIRMAND

Detail of Closing Balances as per Bank Pass Book as on date 31.03.2024

Sr. No.	Head	Branch	Account No.	Closing balance as 31.03.2024
1	Panchayat Samiti	KCCB Nirmand	50072304355	1689804
2	Zila Parishad	KCCB Nirmand	20038027588	965326
	ZP Panchayat Ghar	KCCB Nirmand	50058203183	1435709
	ZP SC Sub Plan	KCCB Nirmand	50058203161	514386
3	Nidhi	KCCB Nirmand	50067403965	161916
4	RGSA	PNB Nirmand	2716000100206335	50960
5	15th Fin.	KCCB Nirmand	20038027475	5682991
			G. Total	**10501092**

Chief Executive Officer
Panhayat Samiti Nirmand

Block Development Officer
Development Block Nirmand